उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1986

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1986)

(भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुछेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:––

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1––(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 कहा जायगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1961 की धारा 13, 20 और 21 का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 13, 20 और 21 में, जहां-जहां भी शब्द "जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज)" या शब्द "जिला न्यायाधीश" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया जायगा।

धारा 38 का संशोधन

3––मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (2) में,––

(1) शब्द "जिला न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "आयक्त" रख दिया जायगा।

(2) शब्द "अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "अपर आयुक्त" रख दिये जायेंगे।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

4––मूल अधिनियम की धारा 13, 20 और 21 के अधीन समस्त कार्यवाहियां और अपील जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हों, आयुक्त को अन्तरित हो जायेंगी और उनका निस्तारण आयुक्त द्वारा इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

मोहम्मद उसमान आरिफ़,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 64 सा0 (राजस्व)—11-2-86—(3616)—1986—2,000 (मेके0)।